संख्या– 238 /XXVII(7)/19–30(02)/2008 टी.सी.

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक: 31 जुलाई, 2019

विषयः–छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राजकीय अथवा अशासकीय विद्यालय के शिक्षको के वेतन निर्धारण के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र संख्या–अर्थ 5(क)/28662/जिज्ञासा–वे0व0/2018–19 दिनांक 09 जनवरी, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शिक्षा विभाग की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों पर कार्यरत शिक्षकों के दिनांक 01–01–2006 से स्वीकृत/प्रतिस्थापित वेतनमानों में वेतन निर्धारण/वेतन वृद्धि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में उक्त वर्णित पत्रों के माध्यम से वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा की गयी निम्न जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की मुझसे अपेक्षा की गयी हैः–

क.सं.	जिज्ञासा	स्पष्टीकरण
1.	शासनादेश संख्या–74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च, 2009 के द्वारा प्रदेश के शिक्षा विभाग की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के दिनांक 01–01–2006 से स्वीकृत/प्रतिस्थापित वेतनमान का उच्चीकरण किया गया। उच्चीकरण के फलस्वरूप जनवरी, 2006 से प्राकल्पित आधार पर निर्धारण करते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 01–04–2009 से दिये जाने की स्थिति में सम्बन्धित शिक्षक को वास्तविक वेतन वृद्धि यथा स्थिति जनवरी/जुलाई, 2006 में देय होगी अथवा उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण के उपरान्त कम से कम छः माह की सेवा पूर्ण करने पर माह जुलाई, 2006 में देय होगी अथवा उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण के उपरान्त एक वर्ष बाद देय होगी।	शासनादेश संख्या–697/XXVII (7)-30(1)/2008 दिनांक 11 सितम्बर, 2013 के पैरा–3(2) (क) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार शासनादेश संख्या–74/XXVII (7)/2009 दिनांक 01 मार्च, 2009 द्वारा प्रतिस्थापित वेतनमानों में वेतन निर्धारण करने पर वार्षिक वेतन वृद्धि शासनादेश संख्या– 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के अनुसार यथा स्थिति जनवरी, 2006 तथा जुलाई, 2006 में देय होगी।

3. यदि किसी कार्मिक का वेतन निर्धारण उपरोक्त वर्णित शासनादेशों/स्पष्टीकरण में उपबन्धित व्यवस्था से इतर किया गया है तो उक्तानुसार वेतन/पेंशन का पुनर्निधारण करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि का नियमानुसार समायोजन आगामी माहों में देय वेतन/पेंशन से किया जाना कृपया सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्याः 238 (1)/XXVII(7) 19–30(2)/2008 टी.सी. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, महोलेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9. निदेशक, आडिट विभाग, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

Scanned by CamScanner